उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-34/2018/176/92-2-18-07जांच/14

लखनऊ:: दिनांक:: 16 फरवरी,2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली में राष्ट्रीय माध्यमिक योजना के अंतर्गत निर्मित कराये गये राजकीय हाईस्कूल भवन पश्चिम गांव, विकास खण्ड-हरचन्दपुर की टी0ए0सी0 जांच में पायी गयी अनियमितताओं के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-203/92-2-15-07जांच/14 दिनांक 11-03-2015 द्वारा श्री एस0पी0पाण्डेय तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-रायबरेली के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद के पत्र दिनांक 13-07-2015 एवं 19-05-2017 द्वारा जांच आख्या आखया शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री पाण्डेय द्वारा मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या के बाद कतिपय माप पुस्तिकाओं में हस्ताक्षर कर राजकीय अभिलेखों में छेडछाड की गयी। उक्त अनियमितता हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-161/2017/ 1604/92-2-17-07जांच/2014 दिनांक 01-09-2017 द्वारा श्री पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद से सम्बद्व कर दिया गया। कालान्तर में श्रीमती मंजू पाण्डेय, पत्नी श्री एस0पी0 पाण्डेय के प्रार्थना पत्र दिनांक 07-09-2017 एवं श्री पाण्डेय के प्रत्यावेदन दिनांक 14-09-2017 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-177/17/64मं0आ0/92-2-17-07जांच/2014 दिनांक 11-10-2017 द्वारा श्री पाण्डेय को इस शर्त के साथ बहाल कर दिया गया कि उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी। राजकीय अभिलेखों में छेडछाड के संबंध में शासन के पत्र सं0-1872/92-2-17-07जांच/2014 दिनांक 11-10-2017 द्वारा श्री पाण्डेय से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 10-01-2018 द्वारा शासन में प्राप्त हुआ।

3- प्रश्नगत प्रकरण में जांच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री पाण्डेय पर कोई आरोप स्थापित न पाये जाने के द्रष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-03-2015 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-34/2018/176(1)/92-2-2018 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एस0पी0 पाण्डेय, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवध नारायण )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।